



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 106 राँची, मंगलवार, 8 फाल्गुन, 1945 (श०)
27 फरवरी, 2024 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

23 फरवरी, 2024

विषय:- केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत स्वीकृत एवं क्रियान्वित आदित्यपुर सिवरेज प्रबंधन परियोजना अंतर्गत सिवरेज गृह संयोजन (**House Service Connection**) हेतु कुल राशि 1567.60 (पन्द्रह करोड़ सड़सठ लाख साठ हजार) लाख रुपये की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त आदित्यपुर सिवरेज गृह संयोजन योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

संख्या-SUDA/AMRUT/Adityapur(HSC)/74/2023/UDHD-730--नगर विकास एवं आवास विभाग 74वें संविधान संशोधन के आलोक में नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। इसी क्रम में आदित्यपुर सिवरेज गृह संयोजन (**House Service Connection**) योजना का सूत्रण किया गया है। इसके क्रियान्वयन हेतु विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसके अनुसार इस योजना की लागत राशि 1567.60 (पन्द्रह करोड़ सड़सठ लाख साठ हजार) लाख रुपये है। प्राक्कलन पर विभागीय तकनीकी कोषांग की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है।

2. केन्द्र प्रायोजित अमृत योजना अंतर्गत आदित्यपुर सिवरेज प्रबंधन परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न क्षमता के 4 STPs (Sewerage Treatment Plant) (क्षमता STP 1-4 MLD, STP 2-20 MLD, STP 3-10 MLD) एवं 5 ISPS (Intermediate Sewer Pumping Station) का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही 135 KM सिवरेज नेटवर्क पाईप लाईन बिछाया जा रहा है। किन्तु इस योजना अंतर्गत सिवरेज गृह संयोजन का प्रावधान नहीं है। इसलिए 23600 घरों में गृह संयोजन देने की योजना तैयार की गई है।

3. केन्द्र प्रायोजित अमृत योजना अंतर्गत आदित्यपुर सिवरेज प्रबंधन परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 06.06.2017 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या 6 के रूप में लागत राशि 24054.92 लाख रुपये पर प्रदान की गई है। परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं औसत भौतिक प्रगति 80 प्रतिशत हो गई है, जिसके अंतर्गत सीवर पाईप लाईन बिछाने का कार्य लगभग 78% पूर्ण हो चुका है।

4. आदित्यपुर सिवरेज प्रबंधन परियोजना अंतर्गत 2 STP (STP-1 एवं STP-3) का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है एवं 105 KM सीवर पाईप लाईन बिछाया जा चुका है, जिससे सिवरेज गृह संयोजन का कार्य करते हुए Sewerage Treatment का कार्य तत्काल प्रारंभ किया जा सकता है।

5. इस योजना का प्राक्कलन जुडको लि० के माध्यम से परामर्शी M/s NJSEI द्वारा बनाया गया है, जिसके तहत 23600 सिवरेज गृह संयोजन देने का कार्य किया जायेगा, जिसमें 678 mixed property (Commercial and residential), 110 Apartment/Societies एवं शेष individual household शामिल हैं।

6. इस योजना के क्रियान्वयन की अनुमानित प्राक्कलित राशि पर विभागीय तकनीकी कोषांग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका ब्यौरा निम्नवत् है:-

(राशि लाख में)

Sl. No.	Description of Item	Amount
1	Inspection Chamber (4720 Nos.)	274.91
2	UPVC Pipe fittings with tools	621.76
3	Earthwork in excavation, backfilling & Dismantling of Plain Cement or Lime concrete and Concrete work	231.72
4	Labor charge for cutting of HDPE/UPVC/A.C. pressure pipes, Making of Holes in Walls, Installation of P-trap and Carriage of Materials	186.93
A	Sub Total (1 to 4)	1315.32
B	GST (18% of A)	236.76
C	Total (A+B)	1552.08
D	Labor Cess (1% of C)	15.52
	Grand Total (C+D)	1567.60

7. अमृत अंतर्गत स्वीकृत आदित्यपुर सिवरेज प्रबंधन परियोजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अमृत अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में कर्णांकित राशि से योजनाओं की स्वीकृति करते हुए क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं इस योजना अंतर्गत राशि शेष नहीं है। इसलिए आदित्यपुर सिवरेज गृह संयोजन योजना का क्रियान्वयन राज्य योजना अंतर्गत शहरी विकास पर

पूँजीगत परिव्यय-वृहद परियोजना एवं नागरिक आधारभूत संरचना मद की राशि से किया जायेगा जिसका ब्यौरा निम्नवत् है:-

मुख्य शीर्ष 4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-60, लघुशीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-51, 05 निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड 48-S-4217-60-796-51-00-05-45.

8. आदित्यपुर नगर निगम में बड़ी योजनाओं के निर्माणक्रियान्वयन हेतु सक्षम स्तर के मानव बल की कमी है। साथ ही आदित्यपुर सिवरेज निर्माण योजना का क्रियान्वयन जुडको लि० द्वारा किया जा रहा है। इसलिए उक्त योजना का क्रियान्वयन भी जुडको लि० द्वारा किया जायेगा। जुडको लि० द्वारा Online माध्यम से निविदा (Jharkhand Tenders Portal) खुली प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया राष्ट्रीय (Open Competitive Bidding-National) के तहत आमंत्रित किया जायेगा। साथ ही निर्धारित प्रक्रियानुसार निविदा कार्य का निष्पादन ससमय करते हुए कार्य आवंटित किया जायेगा एवं योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा।

9. चयनित संवेदक द्वारा उद्धृत राशि स्वीकृत प्राक्कलित राशि से अनुज्ञेय सीमा तक अधिक होने की स्थिति में सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत कार्य आवंटित किया जायेगा। इस क्रम में अतिरिक्त राशि का वहन राज्य योजना अंतर्गत कंडिका 7 में वर्णित मद की राशि से किया जायेगा। साथ ही योजना क्रियान्वयन के क्रम में किन्हीं कारणों से योजना लागत में वृद्धि होती है, तो उस राशि का वहन भी राज्य योजना अंतर्गत कंडिका 7 में वर्णित मद की राशि से किया जायेगा।

10. योजना क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा राज्य योजना की राशि जुडको लि० के पी०एल० खाता में हस्तांतरित किया जायेगा एवं जुडको लि० द्वारा अमृत योजना अंतर्गत गठित समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में राशि का व्यय आदित्यपुर Sewerage गृह संयोजन योजना के निमित्त किया जायेगा।

11. उपरोक्त कंडिका 1 से 10 के आलोक में आदित्यपुर सिवरेज गृह संयोजन योजना की लागत राशि 1567.60 लाख रु. पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

12. उपरोक्त प्रस्तावों पर योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 15.02.2024 को सम्पन्न बैठक में किये गये अनुशंसा के आलोक में माननीय योजना मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरवा राजकमल,
सरकार के सचिव।
